अध्याय-1

परिचय

अध्याय-1

1.1 परिचय

उत्तराखण्ड सरकार के 55 विभागों के साथ 32 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) और 53 अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों आदि) की लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है। विभागों और संबंधित संस्थाओं के विवरण ***परिशिष्ट-1.1.1*** में तथा नीचे दी गई **तालिका-1.1** में संक्षेप में दिए गए हैं।

तालिका-1.1: लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विभागों और संस्थाओं की सूची

क्रं.सं.	विभाग का नाम	संख्या		
		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	अन्य संस्थाएं (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण, *आदि*)	कुल
1.	कृषि	1	-	1
2.	पशुपालन	-	-	-
3.	कला एवं संस्कृति	-	-	-
4.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं	-	-	-
5.	गन्ना विकास	2	-	2
6.	नागरिक उड्डयन	-	1	1
7.	सहकारिता	1	1	2
8.	डेयरी विकास	-	-	-
9.	आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास	-	-	-
10.	पेयजल एवं स्वच्छता	1	2	3
11.	निर्वाचन	-	1	1
12.	वित्त	-	-	-
13.	मत्स्य पालन	-	-	-
14.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	-	-	-
15.	वन एवं पर्यावरण	1	1	2
16.	सामान्य प्रशासन	-	-	-
17.	उच्च शिक्षा	-	17	17
18.	गृह	-	-	-
19.	होम्योपैथी चिकित्सा सेवाएं	-	-	-
20.	उद्यान	-	-	-
21.	आवास	-	1	1
22.	उद्योग	9	1	10
23.	सूचना एवं जनसम्पर्क	-	-	-
24.	सिंचाई	-	-	-
25.	श्रम	-	3	3
26.	कानून एवं न्याय	-	-	-

क्रं.सं.	विभाग का नाम	संख्या		
		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	अन्य संस्थाएं (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण, *आदि*)	कुल
27.	विधायी एवं संसदीय कार्य	-	-	-
28.	चिकित्सा शिक्षा	-	-	-
29.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	2	2
30.	खनन एवं भूविज्ञान	-	-	-
31.	लघु सिंचाई	-	-	-
32.	पंचायती राज	-	2	2
33.	कार्मिक	-	2	2
34.	नियोजन	-	-	-
35.	ऊर्जा	4	2	6
36.	लोक निर्माण	2	-	2
37.	राजस्व	-	-	-
38.	ग्रामीण विकास	-	1	1
39.	ग्रामीण अभियंत्रण	-	-	-
40.	संस्कृत शिक्षा	-	1	1
41.	विद्यालयी शिक्षा	-	5	5
42.	रेशम उत्पादन	-	-	-
43.	कौशल विकास	-	-	-
44.	समाज कल्याण	5	-	5
45.	सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास	-	-	-
46.	खेल	-	-	-
47.	स्टाम्प एवं पंजीकरण	-	-	-
48.	राज्य आबकारी	-	-	-
49.	राज्य कर	-	-	-
50.	तकनीकी शिक्षा	-	4	4
51.	पर्यटन	3	-	3
52.	परिवहन	2	-	2
53.	शहरी विकास	1	1	2
54.	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	-	-	-
55.	युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल	-	-	-
56.	अन्य	-	5	5
कुल		**32**	**53**	**85**

1.2 लेखापरीक्षा आच्छादन

उत्तराखण्ड सरकार के 55 विभागों के अन्तर्गत कुल 48,735 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमशः 48 विभागों के अन्तर्गत 958 इकाइयों और 33 विभागों के अन्तर्गत 725 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

द्वारा संपादित की गयी। इस प्रतिवेदन में पाँच विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस एस सी ए) यथा उत्तराखण्ड में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन, वनाग्नि प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग/जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम का प्रभावी उपयोग, जिला देहरादून में खनन गतिविधियां, वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत प्रतिदाय दावों का प्रसंस्करण तथा वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट के परिणाम तथा छः विभागों और उनके अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों से संबंधित 16 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित हैं।

1.3 संसाधन और अनुप्रयोग

राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां, वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 30,723 करोड़ की तुलना में वर्ष 2020-21 में ₹ 38,205 करोड़ थी। इसमें से, 31 *प्रतिशत* कर राजस्व (₹ 11,938 करोड़) के माध्यम से और 11 *प्रतिशत* करेत्तर राजस्व (₹ 4,171 करोड़) के माध्यम से प्राप्त हुआ था। शेष 58 *प्रतिशत* भारत सरकार से विभाज्य संघ करों में, राज्य के हिस्से (₹ 6,569 करोड़) और सहायता अनुदान (₹ 15,527 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ था।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान राज्य का कुल व्यय ₹ 30,391 करोड़ से बढ़कर ₹ 43,667 करोड़ हो गया। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का औसतन 84.02 *प्रतिशत* (2016-21 के दौरान 82.92 *प्रतिशत* से 85.57 *प्रतिशत* के बीच) रहा, जबकि इसी अवधि में पूंजीगत व्यय 14.10 *प्रतिशत* से 16.86 *प्रतिशत* के बीच था।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में 24.35 *प्रतिशत* (₹ 7,482 करोड़) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। दूसरी ओर राजस्व व्यय में केवल 12.88 *प्रतिशत* (₹ 4,232 करोड़) की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान राज्य को राजस्व अधिशेष प्राप्त हुआ।

1.4 लेखापरीक्षा प्रक्रिया और लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उनके विचार जानने के लिए चार चरण पर अवसर प्रदान करता है, यथा

ऑडिट मेमो: स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को लेखापरीक्षा के दौरान ही उत्तर देने हेतु निर्गत किया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन (नि प्र): लेखापरीक्षा सम्पादित होने के एक माह के भीतर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को चार सप्ताह के भीतर उत्तर देने हेतु निर्गत की जाती है।

प्रलेख प्रस्तरः भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने से पूर्व उन विभागों के प्रमुखों को, जिनके अधीन लेखापरीक्षित इकाइयाँ कार्य करती है, छः सप्ताह की अवधि के भीतर विभागीय मत प्रस्तुत करने हेतु निर्गत किया जाता है।

बहिर्गमन गोष्ठी: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पूर्व लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर, शासकीय/विभागीय विचारों को जानने के लिए, राज्य सरकार और विभागों के प्रमुखों को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों के प्रमुखों/राज्य सरकार को खंडन एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का पूरा अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है और केवल जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं या संतोषजनक नहीं होते हैं, तब ही लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नि प्र या नि म ले प के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा भी प्रकरण हो, में सम्मिलित करने के लिए कार्यवाई की जाती है। तथापि, अधिकांश प्रकरणों में लेखापरीक्षित इकाइयाँ, समयान्तर्गत और संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं करती हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

- ***निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तरों की स्थिति***

मार्च 2021 तक जारी नि प्र की विस्तृत समीक्षा से ज्ञात होता है कि 10,090 नि प्र में निहित 29,826 प्रस्तर, जैसा कि नीचे **तालिका-1.2** में विस्तृत है, 31 मार्च 2021 को निस्तारण के लिए बकाया थे। इनमें से, आहरण एवं वितरण अधिकारियों (डी डी ओ) ने 2,150 नि प्र में निहित 2,325 प्रस्तरों के सम्बन्ध में प्रारंभिक उत्तर प्रस्तुत किये, जबकि 7,940 नि प्र में निहित 27,501 प्रस्तरों के संबंध में, डी डी ओ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

तालिका-1.2: बकाया नि प्र और प्रस्तर

क्र.सं.	अवधि	बकाया नि प्र की संख्या *(प्रतिशत)*	बकाया प्रस्तरों की संख्या *(प्रतिशत)*
1	2020-21	420 *(4.16)*	1,745 *(5.85)*
2	1 वर्ष से अधिक परन्तु 3 वर्ष तक या कम	2,320 *(22.99)*	7,930 *(26.59)*
3	3 वर्ष से अधिक परन्तु 5 वर्ष तक या कम	1,173 *(11.63)*	4,110 *(13.78)*
4	5 वर्षों से अधिक	6,177 *(61.22)*	16,041 *(53.78)*
कुल		**10,090** ***(100)***	**29,826** ***(100)***

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी।

वर्ष 2019-20 के दौरान, विभागीय अधिकारियों के साथ 20 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें (ए सी एम) आयोजित की गईं, जिनमें 22 नि प्र और 111 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार, वर्ष 2020-21 में, विभागीय अधिकारियों के साथ 23 ए सी एम आयोजित की गयी थीं, जिसमें तीन नि प्र और 98 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया था।

- ***लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2019-21 में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रस्तरों के उत्तरों की स्थिति***

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2019-21 के लिए, पाँच एस एस सी ए, उत्तराखण्ड में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन, वनाग्नि प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग/जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम का प्रभावी उपयोग, जिला देहरादून में खनन गतिविधियां, वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत प्रतिदाय दावों का

प्रसंस्करण तथा वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट और 16 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उनके विचार जानने के लिए अग्रेषित किया गया था। लेखापरीक्षा और लेखा पर विनियम, 2020 (विनियम, 2020) के विनियम 138 में प्रावधान है कि सरकार के संबंधित विभाग के सचिव निर्दिष्ट समय के भीतर प्रलेख प्रस्तर के उत्तर प्रस्तुत करेंगे। पाँच एस एस सी ए और 11 लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबंध में सरकार के उत्तर/प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो गई हैं। अनुस्मारकों के बावजूद पाँच लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबंध में सरकार के उत्तर अभी भी प्रतिक्षित है (सितंबर 2022)।

1.5 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही

1.5.1 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रस्तरों के बकाया उत्तर

भारत के नि म ले प का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की परिणति को दर्शाता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि प्रतिवेदन पर कार्यपालिका से उचित एवं समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त हो। अप्राप्त उत्तरों/व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति नीचे **तालिका-1.3** में दी गई हैं।

तालिका-1.3: अप्राप्त उत्तरों की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	राज्य विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (नि ले) और अनुपालन लेखापरीक्षा (अ ले) के प्रस्तर		नि ले/अ ले के प्रस्तरों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्राप्त नहीं हुए	
		नि ले	अ ले	नि ले	अ ले
2012-13	27.11.2014	03	12	01	07
2013-14	03.11.2015	04	18	04	14
2014-15	17.11.2016	03	19	03	13
2015-16	02.05.2017	02	21	-	11
2016-17	20.09.2018	02	19	02	11
2017-18	10.12.2019	02	19	02	16
2018-19	06.03.2021	शून्य	13	शून्य	07
कुल		**16**	**121**	**12**	**79**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी।

1.5.2 लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

वर्ष 2012-13 से 2018-19 के दौरान, इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभागों/स्वायत्त निकायों से संबंधित 16 निष्पादन लेखापरीक्षा और 121 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को प्रतिवेदित किया गया था। इनमें से, लोक लेखा समिति (पी ए सी) ने चर्चा हेतु 16.79 *प्रतिशत* प्रस्तरों {23 प्रस्तरों (नि ले/अ ले)} को लिया था। 31 मार्च 2021 को पी ए सी में चर्चा की स्थिति नीचे दी गई **तालिका-1.4** में विस्तृत है।

तालिका-1.4: 31.03.2021 को पी ए सी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2012-13 से 2018-19 के लिए गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राजस्व अनुभाग से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के नि ले/ अ ले
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	137 (16 नि ले + 121 अ ले)
पी ए सी द्वारा चर्चा हेतु लिय गये	23 (07 नि ले + 16 अ ले)
पी ए सी द्वारा की गई सिफारिश	-
कृत कार्यवाई टिप्पणी (ए टी एन) प्राप्त हुई	44
विभाग द्वारा की गई कार्यवाई	-

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी।

1.5.3 लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

वर्ष 2000-01 से 2018-19 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 10 निष्पादन लेखापरीक्षा और 73 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया था। इनमें से, लोक उपक्रम समिति (कोपू) ने चर्चा हेतु सात निष्पादन लेखापरीक्षा और 54 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को लिया था। 31 मार्च 2021 को कोपू में चर्चा की स्थिति नीचे दी गई **तालिका-1.5** में विस्तृत है।

तालिका-1.5: 31.03.2021 को कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2000-01 से 2018-19 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के नि ले/अ ले
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	83 (10 नि ले + 73 अ ले)
लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कोपू द्वारा लिये गये	61 (07 नि ले + 54 अ ले)
कोपू द्वारा की गई सिफारिश	--
कृत कार्यवाई टिप्पणी (ए टी एन) प्राप्त हुई	--
विभाग द्वारा की गई कार्यवाई	--

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी।

1.6 संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति

राज्य सरकार की संस्थाओं के संबंध में, जिनके लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन संस्थाओं के अधिनियमों/सरकारी आदेशों/भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार नि म ले प को सौंपी गई है, उनके लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, नि म ले प द्वारा तैयार की जाती है और सरकार द्वारा वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखाओं के साथ राज्य विधानमण्डल में रखी जाती है।

- ***संस्थाओं के लेखाओं को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने में बकाया***

31 दिसम्बर 2021 तक, उत्तराखण्ड की दो संस्थाओं[1] के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा नि म ले प को सौंपी गई थी। 31 मार्च 2021 तक किसी भी संस्था ने वर्ष 2020-21 तक के लिए अपने लेखाओं

[1] उत्तराखण्ड जल संस्थान और उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

को अंतिम रूप नहीं दिया था। जिन वर्षों के लिए वार्षिक लेखे बकाया हैं, वह नीचे **तालिका-1.6** में दिए गए हैं।

तालिका-1.6: विभिन्न संस्थाओं के लेखाओं के बकाये को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम	सक्रिय या असक्रिय	वर्ष/वर्षों जिनके लिए लेखे बकाया हैं	बकाये लेखाओं की संख्या
1.	उत्तराखण्ड जल संस्थान	सक्रिय	2019-20 से 2020-21	02
2.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	सक्रिय	2019-20 से 2020-21	02
कुल				**04**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी।

1.7 राज्य विधानमण्डल में संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखाओं को पटल पर रखने की स्थिति

31 दिसम्बर 2021 को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प्र) के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखाओं का विवरण, जिन्हें अभी तक राज्य विधानमण्डल में रखा जाना है, नीचे **तालिका-1.7** में दिया गया हैं।

तालिका-1.7: पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन/लेखे जिन्हें अभी तक राज्य विधानमण्डल में रखा जाना है, के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र.स.	संस्था का नाम	वह वर्ष जब तक राज्य विधानमण्डल में पृ ले प्र के साथ वार्षिक प्रतिवेदन/लेखे रखे गए	राज्य विधानमण्डल में नहीं रखे गए पृ ले प्र के साथ वार्षिक प्रतिवेदन/लेखाओं की स्थिति		पृ ले प्र के साथ वार्षिक प्रतिवेदन/लेखाओं को पटल पर न रखे जाने के कारण
			पृ ले प्र के साथ वार्षिक प्रतिवेदन / लेखाओं का वर्ष	सरकार/संस्थाओं को पृ ले प्र जारी करने की तिथि	
1	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उ वि नि आ)	2019-20	2020-21	09.12.2021	उ वि नि आ द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए
2	उत्तराखण्ड जल संस्थान	2015-16	2016-17	06.08.2018	उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए
			2017-18	06.03.2019	
			2018-19	26.02.2021	
3	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2018-19	--	--	--
4	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2009-10	2010-11	21.11.2014	उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए
			2011-12	21.11.2014	
			2012-13	01.12.2014	
			2013-14	10.02.2016	
			2014-15	10.02.2016	
			2015-16	17.07.2017	
5	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2013-14	2014-15	16.08.2017	उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए
			2015-16	16.08.2017	
			2016-17	17.05.2018	
			2017-18	24.04.2019	
			2018-19	27.10.2020	

क्र.स.	संस्था का नाम	वह वर्ष जब तक राज्य विधानमण्डल में पृ ले प्र के साथ वार्षिक प्रतिवेदन/लेखे रखे गए	राज्य विधानमण्डल में नहीं रखे गए पृ ले प्र के साथ वार्षिक प्रतिवेदन/लेखाओं की स्थिति		पृ ले प्र के साथ वार्षिक प्रतिवेदन/लेखाओं को पटल पर न रखे जाने के कारण
			पृ ले प्र के साथ वार्षिक प्रतिवेदन / लेखाओं का वर्ष	सरकार/संस्थाओं को पृ ले प्र जारी करने की तिथि	
6	उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम	-	01 अप्रैल 2015 को स्थापना हुई। निगम द्वारा 31 मार्च 2021 तक प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये।		
7	उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)	2016-17	2017-18	12.11.2021	उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किये गये
8	उत्तराखण्ड भूसंपदा नियामक प्राधिकरण	2017-18	2018-19	22.01.2020	उत्तराखण्ड भूसंपदा नियामक प्राधिकरण द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए
			2019-20	28.05.2021	

1.8 लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली

लेखापरीक्षा के दौरान, विभिन्न विभागों/संस्थाओं में 1,301 प्रकरणों में इंगित ₹ 1,386.71 करोड़ की वसूली को संबंधित विभाग/संस्थाओं द्वारा स्वीकार किया गया था। इसके सापेक्ष, 192 प्रकरणों में ₹ 4.44 करोड़ (0.32 *प्रतिशत*) की वसूली **तालिका-1.8** में दिए गए विवरण के अनुसार प्रभावी की गई थी।

तालिका-1.8: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित और विभागों/संस्थाओं द्वारा स्वीकार/प्रभावी की गयी वसूलियाँ ।

(₹ करोड़ में)

विभाग	वसूलियों का विवरण	लेखापरीक्षा में इंगित और विभाग/संस्था द्वारा स्वीकार की गई वसूली		वसूली की गयी	
		प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि
2019-20					
वन	अप्रयुक्त वाहनों की बिना नीलामी के विक्रय से संबन्धित मामले	245	346.26	-	-
खनन	पर्यावरण शुल्क में विलम्ब से संबंधित मामले	59	139.63	9	0.55
ऊर्जा	श्रम उपकर के विरूद्ध वसूली	2	1.46	2	1.46
लो नि वि	रॉयल्टी की वसूली	2	0.04	2	0.04
परिवहन (आर टी ओ)	वाहनों के पंजीकरण/फिटनेस के नवीनीकरण से संबन्धित मामले	60	122.96	4	0.14
स्टाम्प और पंजीकरण	पंजीकरण शुल्क से संबंधित मामले	62	13.26	-	-
राज्य आबकारी	लंबित लाइसेंस शुल्क और शराब के कम उत्पादन से संबंधित मामले	54	59.14	3	0.07

विभाग	वसूलियों का विवरण	लेखापरीक्षा में इंगित और विभाग/संस्था द्वारा स्वीकार की गई वसूली		वसूली की गयी	
		प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि
राज्य कर	विलंब कर अर्थदण्ड और आई टी सी से संबंधित मामले	261	292.22	63	0.31
शहरी विकास	गृह कर और दुकान के किराए की लंबित वसूली	20	6.96	-	-
	अनुबंधों पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की वसूली न होना	2	0.06	-	-
	ठेकेदारों से लंबित वसूली *(तहबाजारी, हाटबाजार, हड्डी चरसा आदि)*	3	0.08	-	-
कुल (अ)		**770**	**982.07**	**83**	**2.57**
2020-21					
वन	अप्रयुक्त वाहनों की बिना नीलामी के विक्रय से संबन्धित मामले	145	109.95	1	0.01
	अग्रिम रॉयल्टी का समायोजन/वसूली न किया जाना	27	130.06	00	00
जल संसाधन एवं आपूर्ति	अतिरिक्त भुगतान की वसूली	1	0.03	1	0.03
लो नि वि	स्टॉक की वसूली	1	0.01	1	0.01
	रॉयल्टी की वसूली	1	0.18	1	0.18
	श्रम उपकर की वसूली	1	0.68	1	0.70
	वैट की वसूली	1	0.02	1	0.02
	सड़क कटान शुल्क की वसूली	1	0.11	1	0.11
परिवहन (आर टी ओ)	वाहनों के पंजीकरण/फिटनेस के नवीनीकरण से संबन्धित मामले	00	00	1[2]	0.01
स्टाम्प और पंजीकरण	पंजीकरण शुल्क से संबंधित मामले	79	3.60	6	0.04
राज्य आबकारी	लंबित लाइसेंस शुल्क और शराब के कम उत्पादन से संबंधित मामले	27	121.72	1	0.01
राज्य कर	विलंब कर अर्थदण्ड और आई टी सी से संबंधित मामले	239	31.48	94	0.75
शहरी विकास	गृह कर और दुकान के किराए की लंबित वसूली	8	6.80	00	00
कुल (ब)		**531**	**404.64**	**109**	**1.87**
कुल योग (अ+ब)		**1,301**	**1,386.71**	**192**	**4.44**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी।

[2] लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान वसूली इंगित की गई लेकिन वसूली वर्ष 2020-21 में की गई।

1.9 निष्कर्ष

राज्य सरकार के अधिकांश विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों ने लेखापरीक्षा को निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रस्तरों के प्रारंभिक उत्तर प्रस्तुत नहीं किए थे। लोक लेखा समिति द्वारा केवल 16.79 *प्रतिशत* प्रस्तरों को चर्चा हेतु लिया गया। राज्य की अधिकांश संस्थाओं के वार्षिक लेखे बड़े पैमाने पर तैयार करने को बकाया थे। संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन/लेखाओं को भी राज्य विधानमण्डल में नहीं रखा गया था। विभाग/संस्थाएं लेखापरीक्षा द्वारा इंगित वसूलियों का केवल 0.32 *प्रतिशत* ही वसूल कर सकीं। यह सब सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है और इसलिए, यह एक चिंता का विषय है।